(80)

IV/निग०/रीवा/भू-रा०/2018/01963

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

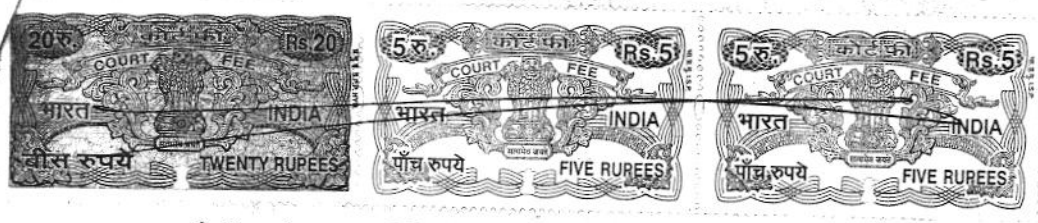

गौरी शंकर भूर्तिया तनय केदार प्रसाद भूर्तिया उम्र 54 वर्ष, पेशा कृषि निवासी ग्राम मांगी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म0प्र0

----निगरानीकर्ता

बनाम्

1- दिवाकर प्रसाद तनय बैजनाथ भूर्तिया निवासी ग्राम कुड़री, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म0प्र0

2- प्रभाकर प्रसाद तनय बैजनाथ भूर्तिया निवासी ग्राम कुड़री, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म0प्र0

अधि० श्री सिद्धार्थ पाठक द्वारा पेश। 23-3-18

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

-------गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा के प्रकरण कमांक 399/निगरानी/09-10 में पारित आदेश दिनांक 22-01-18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

मान्यवर,

सूक्ष्म तथ्य

निगरानीकर्ता के मामा बैजनाथ भूर्तिया ने निगरानी कर्ता की सेवा सुश्रषा से खुश होकर अपने मालिकाना हक भूमि खसरा कमांक 134, 152, 317, 392 एवं 37 रकवा कमशः 1.54ए0, 0.15ए0, 4.81ए0, 15.64ए0, 2.28ए0, में से 1/2 हिस्सा स्थित ग्राम मांगी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म0प्र0 का निगरानीकर्ता के हक में दिनांक 24-04-03 को वसीयत कर दी, वसीयतकर्ता की दिनांक 30-06-03 को मृत्यु हो गई। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर निगरानीकर्ता ने वसीयतशुदा भूमियों के नामान्तरण किये जाने बावत् न्यायालय तहसीलदार त्योंथर वृत्त चाकघाट जिला रीवा के

(30)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निगरा/18/1963 जिला– रीवा

गौरीशंकर मुर्तिया विरूद्ध दिवाकर प्रताप मुर्तिया

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री सिद्धार्थ पाठक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 399/निगरा/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 22-1-18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23.3.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	